



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112025-267998
CG-DL-E-27112025-267998

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 759]
No. 759]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 2025/अग्रहायण 3, 1947
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 2025/AGRAHAYANA 3, 1947

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2025

फा.सं.-आरसीडी-10002/1/2022-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 15 जून, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल अधिसूचना में संशोधन कर एतद्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निम्न अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचित करता है:-

तालिका में, क्रम संख्या 36 के पश्चात सम्बंधित स्तंभों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अधिकार क्षेत्र
“37	डॉ. अश्विनराम रथन ए	चेन्नई बंदरगाह
38	डॉ. अहमद ए	टूटीकोरिन बंदरगाह
39	डॉ. सुजाता आर्या	दिल्ली हवाई अड्डा

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अधिकार क्षेत्र
40	डॉ. रोहित सिंह परमार	दिल्ली हवाई अड्डा
41	डॉ. पंकज कुमार मंगल	जयपुर हवाई अड्डा
42	डॉ. राजेंद्रसिंह आर. जाडेजा	कोलकाता बंदरगाह
43	डॉ. अमृता एम	त्रिची हवाई अड्डा

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./495/2025-26]

टिप्पण- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फा.सं. 1(100) 2015/सीएल-पोर्ट/एअरपोर्ट/एएनएफ/भाखासंमाप्रा, तारीख 15 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई थी:

1. फा.सं.-आरसीडी-10002/1/2022-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई, तारीख 28 फरवरी, 2022;
2. फा.सं.-आरसीडी-10002/1/2022-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई, तारीख 11 अप्रैल, 2022;
3. फा.सं.-आरसीडी-10002/1/2022-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई, तारीख 13 दिसम्बर, 2022
4. फा.सं.-आरसीडी-10002/1/2022-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई, तारीख 5 जुलाई, 2023 और
5. फा.सं.-आरसीडी-10002/1/2022-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई, 10 जुलाई, 2025।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2025

F. No. RCD-10002/1/2022-Regulatory-FSSAI -In exercise of the powers conferred under Sub-Section 5 of Section 10 read with Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby notifies the following officers of Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, as Food Safety Officers for the area as mentioned against his /her name with effect from the date of publication of this notification by amending the principal notification, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 15th June 2021:-

In the table, after serial number 36, the following entries shall be inserted in the respective columns, namely: -

S.No.	Name of Officers	Area of jurisdiction
“37	Dr. Aswinram Rathan A	Chennai port
38	Dr. Ahammad A	Tuticorin port
39	Dr Sujata Arya	Delhi Airport
40	Dr Rohit Singh Parmar	Delhi Airport
41	Dr Pankaj Kumar Managal	Jaipur Airport
42	Dr Rajendrasinh R. Jadeja	Kolkata port
43	Dr Amritha M	Trichy Airport”

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer
[ADVT.-III/4/Exty./495/2025-26]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide F. No. 1(100)2015/CL-Port/Airport/Enf/FSSAI, dated the 15th June, 2021 and subsequently amended vide notification numbers:

1. F. No. RCD-10002/1/2022-Regulatory-FSSAI, dated 28th February, 2022;
2. F. No. RCD-10002/1/2022-Regulatory-FSSAI, dated 11th April, 2022;
3. F. No. RCD-10002/1/2022-Regulatory-FSSAI, dated 13th December, 2022;
4. F. No. RCD-10002/1/2022-Regulatory-FSSAI, 5th July, 2023; and
5. F. No. RCD-10002/1/2022-Regulatory-FSSAI, 10th July, 2025.